लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462023

दूरभाष कमांक : 0755–2583659, ई–मेल : dpividhya@gmail.com

कमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/1778
प्रति, भोपाल, दिनांक 31.05.2018

1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0

विषयः–म0प्र0 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की मान्यता नवीनीकरण/प्रथम एवं द्वितीय अपील हेतु दिनांक 01 जून 2018 से पोर्टल खोलने बाबत्।

—00—

अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मान्यता वर्ष 2018–19 हेतु ऑनलाइन पोर्टल 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2017 तक तथा विलम्ब शुल्क राशि रूपये 20 हजार के साथ 01 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2017 तक के लिए खोला गया था। जो संस्थाएं उक्त प्रकिया में सम्मिलित नहीं हो पाई थी उनके आवेदन के लिए (20 हजार + 50 हजार) विशेष विलम्ब शुल्क के साथ 05 अप्रैल से 11 अप्रैल 2018 तक पुनः पोर्टल खोला गया। वर्तमान में भी अनेक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय में पुनः पोर्टल खोले जाने की मांग की जा रही है। चूंकि वे संस्थाएं पूर्व से संचालित हैं अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मात्र नवीनीकरण के लिए मान्यता पोर्टल निम्न कार्यक्रम अनुसार खोला जा रहा है :–

क्र0	कार्यवाही	वर्ष 2018–19 हेतु तिथियां
1	एम पी ऑनलाइन पर सभी दृष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र अपलोड करना।	01 जून 2018 से 07 जून 2018
2	समस्त प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र के भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण हेतु मान्यता नियम 8 (1) के अंतर्गत निरीक्षण दलों का गठन एवं निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भेजना।	08 जून 2018 से 15 जून 2018
3	संयुक्त संचालक द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणो/नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय लेने की अवधि।	15 जून 2018 से 20 जून 2018 तक
4	जिन संस्थाओं के आवेदन निरस्त हुए हैं उनके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश को ऑनलाइन प्रथम अपील की अवधि	30 जून तक
5	आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण की अवधि।	10 जुलाई 2018
5	जिन संस्थाओं की प्रथम अपील आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा निरस्त की गई है उनके द्वारा हुए हैं उनके द्वारा मान्यता समिति को ऑनलाइन द्वितीय अपील की अवधि	20 जुलाई 2018
6	मान्यता समिति द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों में द्वितीय अपील के निराकरण की अवधि।	31 जुलाई 2018
7	संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संबद्धता दिया जाना।	मण्डल द्वारा निर्धारित दिनांक तक

उक्त आवेदन मान्यता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क राशि रूपये 20 हजार पर ही मान्य होगी। मान्यता प्राप्त होने पर विशेष अर्थदण्ड राशि रूपये 50 हजार जमा करने पर ही प्रमाण पत्र हो सकेगा।

जिन संस्थों ने वर्ष 2018–19 की मान्यता हेतु माह सितम्बर–अक्टूबर 2017 या माह अप्रैल 2018 में आवेदन किया था किन्तु प्रथम या द्वितीय अपील नहीं कर सकी हैं, ऐसी संस्थाएं भी (विलम्ब शुल्क राशि रूपये 20 हजार तथा मान्यता प्राप्त होने पर राशि रूपये 50 हजार जमा करने पर ही प्रमाण पत्र हो सकेगा।) उपरोक्त अपील अवधि में कमशः प्रथम एवं द्वितीय अपील कर सकेंगीं।

समस्त पात्र संस्थाओं को वर्ष 2018–19 हेतु आवेदन नहीं कर सकी हैं अथवा प्रथम अथवा द्वितीय अपील नहीं कर सकीं हैं उन्हें एस.एम.एस./ई–मेल के द्वारा उक्त कार्यक्रम की सूचना दी जाए।

(डी.एस.कुशवाह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. कमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/1779
भोपाल, दिनांक 31.05.2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
3. सचिव, म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिवाजी नगर भोपाल ।
4. श्री निखिल कुमार, कंसल्टेंट, एजुकेशन, एम.पी.आन लाईन, डी.बी.माल चतुर्थ तल, भोपाल की ओर एम पी ऑनलाइन पोर्टल खोलने एवं संबंधित संस्थाओं को एस.एम.एस./ई–मेल के द्वारा उक्त कार्यक्रम की सूचना देने बाबत्।
5. समस्त प्राचार्य, अशासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.